


बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(मू-अर्जन निदेशालय)
अधिघोषणा

पटना, तारीख:

सं० रा० चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-मीठापुर, थाना नं०-19, परगना-अजीमाबाद, थाना-फुलवारी, जिला-पटना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् मीठापुर रेलवे क्रॉसिंग उपरी पुल निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम-मीठापुर, थाना नं०-19, के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम-वेश 2.72 एकड़ के बराबर होता है और जिसका सर्वे खेसरा संख्या-125 पूर्ण भाग एवं सर्वे खेसरा संख्या-151, 152, 153 एवं 154 सभी अंश भाग जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है -

	सर्वे खेसरा सं०-151	सर्वे खेसरा सं०-152	सर्वे खेसरा सं०-125	सर्वे खेसरा सं०-153	सर्वे खेसरा सं०-154
उत्तर :	खेसरा सं०-177	खेसरा सं०-177 अंश।	खेसरा सं०-03	खेसरा सं०-153 अंश।	खेसरा सं०-153 अंश।
पूरब :	खेसरा सं०-151 अंश।	खेसरा सं०-149 अंश।	खेसरा सं०-126 अंश।	खेसरा सं०-150	खेसरा सं०-150
दक्षिण :	खेसरा सं०-127 अंश।	खेसरा सं०-149 अंश।	खेसरा सं०-118	खेसरा सं०-154	खेसरा सं०-155
पश्चिम :	खेसरा सं०-149 अंश।	खेसरा सं०-152 अंश।	खेसरा सं०-119, 120, 121, 122, 123, 124,	खेसरा सं०-153 अंश।	खेसरा सं०-154 अंश।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल-वे भाग जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिए जायेंगे। यह घोषणा अधिनियम 1,1894 की धारा 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा 3 के खंड (1) तथा संशोधित अधिनियम के धारा 4 सन 1961 एवं 1984 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो। भूमि का मानचित्र जिला मू-अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा।


समाह्वता,
पटना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

२/०

सरकार के सचिव

कृ० पृ० ३०

ज्ञा० सं०-15/डी०एल०ए० पटना (मीठापुर उपरी पुल)-25/12-1957/रा०, पटना-15, दिनांक-14-01-13

प्रतिलिपि :-

1. तीन अतिरिक्त प्रतियों सी०डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना के दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं प्रकाशित संस्करण का जिला भूमि अर्जन कार्यालय, पटना एवं इस विभाग को प्रेषित हेतु।
2. उप समाहर्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, पटना को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को जिला भू-अर्जन कार्यालय, पटना को दस प्रतियों में भेजने के लिये।
3. समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/1/13
सरकार के अवर सचिव।